

12.58 hrs.

FOREIGN EXCHANGE REGULATION
(AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C.
SETHI) : I beg to move for leave to intro-
duce a Bill further to amend the Foreign
Exchange Regulation Act, 1947.

श्री शिव चन्द्र भा (मधुवनी) : मैं इसका
बिस्त्रोह करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर भा, इंट्रोडक्शन
स्टेज पर आप हर एक बिल का विरोध करते
हैं...

श्री शिव चन्द्र भा : हर एक पर हो
सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह नया प्रोसीजर आप
चलाने लगे हैं ।

श्री शिव चन्द्र भा : आप एक मिनट मेरी
बात सुन लीजिये । इस फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन
(अमेन्डमेंट) विधेयक के मुतालिक मेरी आपत्ति
यह है कि जिस मकसद से यह विधेयक मन्त्री
महोदय लाए हैं उनका वह मकसद शायद इससे
पूरा न हो । यह विधेयक लाया जा रहा है जबकि
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कोई एक्सपोर्टर
एक्सपोर्ट का डिक्लरेशन सही रूप में नहीं
देता है तो एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स जो
हैं उन पर कार्यवाही नहीं होगी, सिर्फ जिसने
फाल्स डिक्लरेशन दिया है उसके फाल्स डिक्ले-
रेशन देने के ऊपर कार्यवाही होगी । अब यह
कस्टम अधिकारी को पावर दे रहे हैं कि फाल्स
डिक्लरेशन वाले गुड्स के मुतालिक भी कार्य-
वाही वह कर सके । लेकिन एक बात जो कि
हम देख रहे हैं मान लीजिए उसने यह कान्फि-
स्केट कर लिया या उसको रोक लिया एक्सपोर्ट
करने से जिसका बयान सही रूप में नहीं किया
गया है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा । यह

घांघली गुड्स की स्मॉलिंग की बहुत सी चीजों में
सामने आती है और फारेन एक्सचेंज हिंदुस्तान
को नहीं मिलता है ।

13.00 hrs.

इसलिए इस विधेयक में उन लोगों के लिए,
जिनको कि एक्सपोर्ट अथॉरिटीज या कस्टम
अथॉरिटीज यह समझती हैं कि ये लोग बार-
बार ऐसा कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था होनी
चाहिए कि उनको एक्सपोर्ट करने से बिल्कुल
डिबार कर दिया जाय । चूंकि इस विधेयक में
ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस विधेयक के
यहाँ लाने का जा मकसद है, वह पूरा नहीं
होता है । इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इस
विधेयक का विरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो अमेन्डमेंट
में आ सकती है, लीव के मौके पर इसको बयों
लाते हैं ।

These are just formal motions. Any
suggestions you want to bring forward to
the Bill can be brought in the form of
amendments rather than taking the time
of the House at this stage. Now, the
question is :

"That leave be granted to introduce
a Bill further to amend the Foreign
Exchange Regulation Act, 1947."

The motion was adopted

SHRI P. C. SETHI : I introduce the
Bill.

STATEMENT *Re.* FOREIGN EXCHANGE
REGULATION (AMENDMENT)
ORDINANCE, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C.
SETHI) : I beg to lay on the Table a copy
of the explanatory statement giving reasons
for immediate legislation by the Foreign
Regulation (Amendment) Ordinance, 1969,
as required under rule 71(1) of the Rules
of Procedure and Conduct of Business in
Lok Sabha.